# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.09.2021 जनपद देवरिया।

## पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा बीट पुलिस अधिकारियों की ली गयी पाठशाला, कर्तव्यों का बोध कराते हुए दिये गये निर्देश,

## अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाना हमारी विशेष प्राथमिकताःडीआईजी

## पुलिस प्रणाली का मुख्य आधार बीट पुलिस अधिकारीःडीआईजी

आज दिनांक 16.09.2021 को पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर श्री जे0 रविन्दर गौड का आगमन जनपद देवरिया में हुआ, जहां पर पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को पुष्पगुच्छ देते हुए स्वागत किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा सुसज्जित गार्द की सलामी ली गयी। तत्पश्चात पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षागृह में जनपद देवरिया के समस्त थानों से कुल 400 महिला/पुरूष बीट पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी किया गया। जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा जनपद देवरिया के समस्त थानों पर नियुक्त एक–एक सर्वोत्तम बीट पुलिस अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया (सूची संलग्न है) एवं टर्न आउट अच्छा पाये जाने पर प्रत्येक थाने से एक–एक पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसप्रकार कुल 41 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया।

पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा उपस्थित बीट पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि आप लोगों के क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक ग्राम के एक–एक व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि आप उनके क्षेत्र के बीट पुलिस अधिकारी हैं। उनके साथ समय–समय पर वार्ता करते रहने एवं कुशल क्षेम लेने से उनके अन्दर पुलिस के प्रति एक विश्वास बढ़ेगा, जिससे उनके क्षेत्र में हो रहे आपराधिक गतिविधियों की सूचना आप को उनके द्वारा स्वयं प्राप्त होती रहेगी और आप लोगों द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में सुगमता होगी। समस्त बीट पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उनके क्षेत्र में लोगों के साथ चौपाल आदि लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाये तथा यह कभी नहीं सोचा जाये की उनकी समस्या का संबन्ध पुलिस विभाग से नहीं है। उनकी समस्या प्राप्त होने पर संबन्धित क्षेत्र के संबन्धित विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में उनकी समस्याओं को लाया जाये तथा समस्याओं का निराकारण कराये जाने का प्रयास किया जाये।

पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के साथ अपराध गोष्ठी करते हुए थानों पर लंम्बित विवेचनाओं के निस्तारण के संबन्ध में संबन्धित अधिकारी/विवेचक को निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा पुरानी विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त क्षेत्राधिकारीगण को अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये। अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गस्त व क्षेत्र में भ्रमण करने, लंबित जनशिकायत एवं आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए गये। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वालों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने व छोटी से छोटी बातों का संज्ञान लेने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये। शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा, गैगेस्टर आदि की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने व अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारी सहित यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी

कार्यवाही करने, एंटी रोमियो टीम द्वारा अभियान को निरंतर जारी रखने, वाहन चेकिंग के दौरान आम जनता से अच्छा बर्ताव करने हेतु निर्देशित किया साथ ही साथ आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु पैदल गश्त को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर जोर दिया गया। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों में राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच कर निस्तारण कराये जाने के संबन्ध में निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री राजेश कुमार सोनकर, क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्रीयश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर श्री अम्बिका राम, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री कपिलमुनि, क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी श्री पंचमलाल, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री देवानन्द, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, प्रभारी स्थानीय अभिसूचना इकाई श्रीमती अर्चना, वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री गिरीजेश त्रिपाठी, प्रधान लिपिक श्री भुवनेश कुमार राय एवं समस्त शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.09.2021 जनपद देवरिया।

## देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से किया गया दंडित।

महोदय,

जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–309ध्2011 धारा–354,504,506 भादंसं व 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट बनाम अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र शारदा सिंह निवासी–राजपुर उर्फ चंद्रभान थाना–रामपुर कारखाना जनपद–देवरिया के विरुद्ध प्रचलित मा0 न्यायालय में वाद में देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष की सजा एवं 2000ध–रुपए से दंडित किया गया।